

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 735 / 19-20

3

मेरी मारगोर सुन्दर आवेदक
बनाम

जैन मंगुल केरकेडा विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती मेरी मारगोर सुन्दर पिता/पति जेगोरी केरकेडा निवास, ग्राम पुसु दाउदण्डार थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>पुसु</u>	<u>गुमला 66</u>	<u>70</u>	<u>2690</u>	<u>0.17 एकड़</u>

(सतरह डिसमील)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित केंता श्री/श्रीमती जैन मंगुल केरकेडा पिता/पति जेगोरी केरकेडा निवासी ग्राम पुसु दाउदण्डार थाना गुमला जिला गुमला को राशि रुपये २२५०००/- (दो लाख पचाहर हजार) पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर पुत्र खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के पत्रांक 19 दिनांक 04/07/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशांसी की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खत्रियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के उरीव है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशांसी के आधार पर निम्नकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती नारद सुन्दर पिता/पति गुजोरी करकेडा निवासी ग्राम पु. 434 नगर थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>पु. 5</u>	<u>गुमला 66</u>	<u>70</u>	<u>2690</u>	<u>0.17 एकड़</u>

(कुल सत्रह जितनी)

चौहदी - उत्तर- पुराना केच्चा राह्ला दक्षिण- टोंड सोमरा उरीव
 पूरब- टोंड विक्वेर माहुर पश्चिम- टोंड गुमला उरीव

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार समाहर्ता,
गुमला।

भूमि सुधार समाहर्ता,
गुमला।